

सीपाराम सरगा

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

10/7/23

वकील अपीलान्त जगें बहम हुनी गयी।  
वकील अपीलान्त का कथन है कि सीपाराम  
की मृत्यु होके के पश्चात् सीपाराम के  
इस उम्मीदवाक्य द्वारा सीपाराम के नाम से  
ए. ए. ए. पत्र उद्धृत कर सूचना दी गयी  
परन्तु मार्फत का कुछ नहीं की गयी। तदनु-  
सार अपील अपीलान्त जोरिप अंतर मारिज  
कर दी गयी। उनका पर यह कथन है  
कि किसी उम्मीदवाक्य की शुरुत से पत्रकार  
को म्याप से वंचित नहीं किया जा सकता।  
अतः ए. ए. ए. पत्र स्वीकार किये जाने का  
निवेदन किया। हमने पत्रकारों का अवगत  
किया एवं बहम अपीलान्त पर मनन किया।  
म्यापलप का अस्तित्व पत्रकारों को म्याप  
उपलब्ध करना है। किसी उम्मीदवाक्य की  
शुरुत से पत्रकार को वंचित नहीं किया जा  
सकता। अतः हम म्यापलप में ए. ए. ए. पत्र  
स्वीकार किया जाना म्यापलपित समझते  
हैं। अतः आदेश है कि ए. ए. ए. पत्र स्वीकार  
किया जाकर मृत्यु सीपाराम के विधि-  
मारिजान्त के विधि पर किया जाता है।  
पत्रकारों के म्यापलप के जाकर, म्यापलप से  
मन से अतः, एवं मृत अपीलान्त म्यापलप  
पर ले जाती है। वकील अपीलान्त मृत्यु  
अपीलान्त में संशोधित शीघ्रतः पेश करें  
एवं मृत अपीलान्त उन; एवं स्वीकार की  
जावे।

भू-प्रमाण अधिकारी  
पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर कौम्य धौलपुर

